व्हाट्सऐप/ई–मेल द्वारा

कार्यालय- प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,खनन प्रभाग–रामनगर(नैनीताल)।

e-mail : prabharikhanan37@gmail.com PH:- 05947-254537

पत्रांक- 724 / कोसी दाबका भाग–02/ दिनांक-22-06-.2022।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)।

विषय– जनपद ऊधम सिंह नगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के रामनगर रेंज के ज्वालावन ब्लॉक में आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी–दाबका भाग–02 से उपखनिज चुगान निकासी हेतु 150.00 है0 के वन स्वीकृति (F.C.) प्रस्ताव FP/UK/MIN/60921/2020/Kosi Dabka Part-2 में लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, का पत्रांक–NO-8-30/2020/21-F.C./दिनांक 10.01.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक–4532/12–1/दिनांक 31.05.2022।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, का पत्रांक–NO-8-30/2020/21-F.C./दिनांक 10.01.2022 द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के रामनगर रेंज के ज्वालावन ब्लॉक में आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी–दाबका भाग–02 से उपखनिज चुगान निकासी हेतु 150.00 है0 के वन स्वीकृति (F.C.) प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण कर सूचना मय संलग्नक आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(धीरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक-7241 /उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में मय संलग्न सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 वन विकास निगम, देहरादून।
2. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार–देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण , इन्द्रानगर देहरादून।
4. महा प्रबन्धक (कु0मण्डल), उ0 वन विकास निगम, हल्द्वानी(नैनीताल)।
5. वन संरक्षक, (पश्चिमी वृत्त), उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उ0 वन विकास निगम, रामनगर (नैनीताल)।

(धीरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

Camp

Scanned with CamScanner

PROPOSAL NO -FP/UK/MIN/60921/2020/Kosi Dabka Part-2

S.NO	Information Rased By Moef	Answer
i.	Forest area proposed for mining is located at an aerial distance of approximately 8.50 km from the boundary of Corbett Tiger Reserve therefore comments of Chief Wildlife Warden of the state may be obtained and submitted to the Ministry.	Forest area purposed for mining is located at an Aerial distance of approximately 16.50 km from the boundary of Corbett National Park.(Map & chief wild life warden comments are attached) (Annexure-I)
ii.	Status of District Survey Report, if any, prepared for Ramnagar and UdhamSingh Nagar Districts of the State in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Ministry in January 2020 vis-à-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	District Survey Report as per Guidelines on Sustainable Sand Ministry in January 2020 is attached.(Annexure-II)
iii.	The State Government may submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 or otherwise.	Survey report Prepared by Indian Institute of Soil Water Conservation as per the mining guide line 2016. Survey report and Letter of Indian Institute of Soil Water Conservation are attached.(Annexure-III & IV).
iv.	Purpose wise breakup of forest area, as well as non-forest and, if any involved, as envisaged in the State needs to submit by the state.	Purposed forest land for mining is 150 ha.
v.	A copy of the Mining Plan and status of its approval by the concerned competent authority in the State needs to submit by the state.	Preparation of Mining Plan is under process.
vi.	The State Government may also intimate to the Ministry, methods of mining envisaged in the proposal i.e. whether mechanized or manual?	Methods Of Mining is done manually by Hand Tool.
vii.	As the mining has been proposed over an area of 150 ha which may result into additional transportation loads and increased biotic pressure on the surrounding resources, therefore, evacuation plan of the RBM to be mined out from the area may be intimated by the State.	The mining area has been purposed for 150 ha area but as per the mining rules actual mining would be carried out only on 50% of the purposed area which would be less than 150 ha area.
viii.	Estimation of cost benefit ratio does not account for all parameters specified in the Guidelines dated 01.05.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure-III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980. Therefore, cost benefit analysis needs to be re-visited by the State to ensure accounting of all specified parameters using appropriate techno-economic tools.	As per guideline Copy of Estimation of cost benefit ratio is attached. (Annexure-V)

Scanned with CamScanner

ix.	Details of approvals, if any, granted by the Ministry in the past in Ramnagar and Udham Singh Nagar Districts in the river beds of Kosi and Dabka Rivers may be intimated by the state along with approved capacity of RBM as envisaged in the EC.	Approval of EC of Kosi and Dabka rivers at Nainital district are attached (Annexure-VI, VII) but purposed sight is in district Udham singh Nagar.
x.	A detail of employment potential of the project has not been provided in the online part-I of form-A. Similarly] Part-IV does not have date recorded on it. Necessary rectifications need to be made and accordingly revised part-I and part-IV may be updated online in form-A.	Detail of employment potential are enclosed in form-A part-I and uploaded (Annexure-VIII)
xi.	Relevant portion of the Management plan which prescribed mining activities in the area in question be provided. Besides this, the relevant portion of prescription such as wildlife overlapping Working circle of the approved working plan should also be referred to cross check the claims regarding presence of wildlife and wildlife corridors in the area.	Purposed area does not belong to any wild life corridors. (Annexure-IX, X)
xii.	As per supreme court order the revenue earned in such cases should go for conservation work. In that case proposal of DFO for creating SPV and depositing money is tenable or not need to be clarified by the state.	Once the FC is granted the SPV would be created by DFO after getting approval from Govt. of Uttrakhand.
xiii.	The CA land is being done in double degraded forest land. Does it a civil soyam land? If so would it be mutated in the name of forest department and handed over for management?	(Annexure-XI enclosed) Letter No-3990/12-1 Dated 06/06/2022 Office Divisional Forest Office Narendra Nagar.
xiv.	It may be clarified whether the CA land proposed is covered with any working plan if so whether these lands are recommended for plantations?	
xv.	The report of DFO tells there are crushers established along the river and it would not be possible to check the illegal activity. What kind of crushers are they? Can they lead to illegal mining in the area? Is there any case related to Illegal mining in the range or land in question need to be locked in to.	Information is to be filled up by DFO TARAI WEST, (Ramnagar) forest division.

प्रभागीय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम खनन
रामनगर (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

(संलग्नक सं0-01) I

PART-I

Proposal for Investigation and Survey in the National Park/ Sanctuary

(Details to be provided by the Applicant)

1. Name of the Organization - **Uttrakhand Forest Development Corporation.**

2. Aims and Objectives of the Proposed Project - **Collection of minor minerals from river bed of Kosi Dabka Part-2 River in Udham singh Nagar District Uttrakhand.**

3. Location and Map (1:50,000 scale) of the area duly authenticated by the competent authority to be investigated / Surveyed. - **Annexed.**

4. Whether investigstion / Survey requires clearing of vegetation. - **NO**

5. If yes, please specify the extent (in Ha) - **NA**

Opinion of the Officer In Charge of the NP/WLS (Attach signed copy) - **The Project area does not fall under any protected area.**

6. Opinion of the Chief Wildlife Warden - **NOC from CWLW of Uttrakhand annexed.**

(Attach signed copy). The following be Included in the opinion.

I. Brief history of the protected area - **The area does not form the part of P.A And Situated at aerial distance of approx 16.5 km. from National Park/Sanctuary. (Map Annexed)**

II. Current status of wildlife. - **Sporadic occurrence of jackal, wild boar etc, has been protected.**

III. Current status of pressures on protected areas. - **NA**

IV. Projected impacts of projects on wildlife, habitat management and access / use of resource by various stakeholders. - **The proposed project is for channelizing River flow of kosi Dabka Part-2 river in middle part of river bed by collection of RBM during dry season. As in exercise of RBM Collection the river flow of proposed river will get channelized in the middle part of river bed. So proposed**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

activities of RBM Collection will rather help in Conservation of forests existing on both sides of river bank, by stopping soil erosion during rainy season.

V.	Contiguous wildlife areas which would benefit wildlife if added to national park/Sanctuary.	-	NONE
VI.	Other areas in the State which have been recommended by state Government, Wildlife Institute of India, BNHS,SACON, IISC, IUCN or other expert body for inclusion in protected area network.	-	NIL

Signed	Signed	Signed
Project Head	The Officer In Charge of the NP/WLS	The CWLW
Name	Office Seal	Office Seal
		डा0 पराग मधुकर धकाते मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड
Organization	D. J. K. SHARMA, IFS PCCF/Managing Director U.K.F.D.C.	
Uttrakhand Forest Development Corporation		

Date of Submission to Govt, Of India by CWLW

प्रभागीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम खनन प्रभाग रामनगर (नैनीताल)	प्रभागीय प्रबन्धक उ० व० विकास निगम रामनगर (नैनीताल)	उप प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

Scanned with CamScanner

Kosi-Dabka Part-2 River Mining Site
Nainital District, Uttarakhand

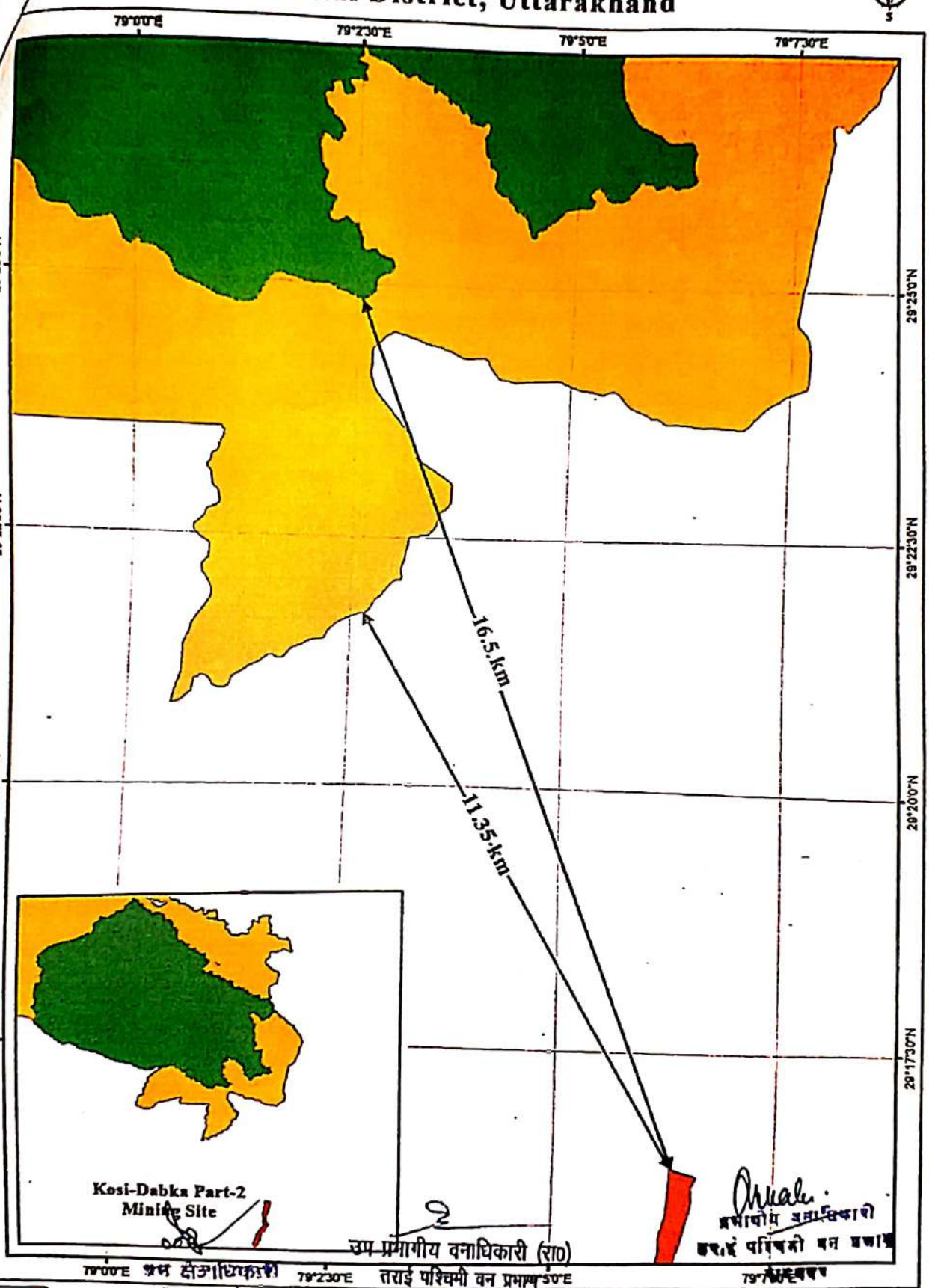

Mining Lease Boundary
Corbett Tiger Reserve
Corbett National Park

Divisional Manager
U. K. F. D. Corp.
Khanan Div. Ramnagar

उप प्रभागीय वनाधिकारी (रा0)
तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग

डा0 पराग मधुकर धकाते
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(संलग्नक-03)

भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (भामृजसंस)
२१८ कौलागढ़ रोड, देहरादून-२४८ १९५ (उत्तराखंड)
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation (IISWC)
218, Kaulagarh Road, Dehradun 248 195 (Uttarakhand)

इं० एस०एस० श्रीमाली
वरिष्ठ वैज्ञानिक
Er S.S. Shrimali
Senior Scientist

F.No. Khanan Consultancy
Dated: March 24th, 2022

The Regional Manager,
UKFDC,
Ramnagar

In response to the query of MOEFpara iii, this is intimated that the survey report has been prepared based on the pre and post monsoon survey of defined river reaches. The estimation of RBM for extraction has been confined to the 50 percent of the existing river width leaving the ample scope of bank protection and maintaining the profile of the river. The extraction recommended is less than 3m hence the report is as per Guide lines- 2016 mentioned for river bed mining.

This for your information and further action.

(S.S. Shrimali)

Tel. : (O) 0135-275 8564,
Fax : 0135-275- 4213
Facebook: https://www.facebook.com/IISWC.Dehradun
Email : shrimaliss@gmail.com
Website : www.iiswc.icar.gov.in; www.cswcrtiweb.org
Twitter : https://twitter.com/icariiswc

Scanned with CamScanner

(संलग्नक-05)

COST OF PROJECT

Name of project – Collection of the minor mineral from the KOSI DABKA PART-II RIVER.

Uttarakhand Forest Devlopment Corporation, Ramnagar (Nainital)

Sr.No	Particulars	Approx Amount (in lakhs)	Remark
1	Total cost (Investment incurred) for10 years approximated	12893.54	
(A)	Construction Cost of the Project	10473.49	Fencing of Safety zone, Staff Salary, infrastructure Labour welfare, Repair and maintenance, Other expenditures. Already included above.
(B)	N.P.V Amount to be deposited @ 9.39 lakh/Ha	1408.50	Already deposited
(c)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	1011.552	As per estimated.
	Total (A+B+C)=	12893.54	
2	Benefits:- Benefits from taking age of Project as 10 Years	51667.40	
(A)	Economic Benefits-Market Development Taking	12893.54	Production Cost and other
(B)	Direct Employment of Labours-	43200.00	Approximately 3000 labours will be working for 8 months/year for 10 years @Rs 600=43200.00 Lakh. These Labours are directly paid by buyer.
(C)	Employment Generation Due to other activities	5000.00	
(D)	Therefore construction of Economically viable and social beneficial.	-	
	Total (A+B+C+D)=	61093.54	

* For calculating the total cost of 10 years average cost of investment for last 3 years was multiplied with 10 and obtained value was divided by the total mining area of both the rivers i.e Kosi and Dabka to reach to per ha. Investment cost finally for the calculation of total cost of Kosi Dabka part-II River, the mining area of Kosi Dabka part-II i.e. 150 hact was multiplied with per hact cost.

Note:- Total Cost Sr. No 1=Rs **12893.54** (In Lakhs)
Benefit Sr. No 2=Rs **61093.54** (In Lakhs)
Therefore, Benefits/cost Ratio=**61093.54/12893.54** =4.73
Therefore the project is economically viable socially beneficial.

Divisional Manager, (Mining)
Uttrakhand Forest Development Corporation,
Khanan Prabhagiya Prabandhak
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन
Khanan Prabhag, Ramnagar (Nainital)
रामनगर (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

Name of project:–Collection of the minor mineral from the KOSI DABKA PART II RIVER.

Parameter for Evaluation of loss of Benefits, not withstanding loss of forests:-

Nature of Proposal:-Collection of the minor mineral from the Kosi Dabka Part- II River.

Sr.No	Particulars	Road, Tr. Lines & Railway line
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	The river bed area lies unoccupied for the past many years. There is possibility of illegal collection of RBM if not done regularly the level of river bed would keep on rising. if mining Is regularly carried out, there will be increase in govt. revenue and the nearby areas will be prevented from inundation.
2	Benefits to economy.	As given in cost benefit ratio chart, the total expenditure is Rs 12893.54 Lakh and the benefit will be Rs 61093.54 lakh which can be more.
3	No. of population benefited.	Most of people would be benefited.
4	Employment potential.	Most of people would be benefited.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	There is no need of acquisition of non-forest land for any facility.
6	Loss of (a) agriculture & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	There will be no loss in agriculture and animal husbandry production due to diversion of the forest land because the area is in seasonal river bed where there is no flora and fauna.
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amount given for displacement.	There is no displacement of people due to the project.
8	Cost of supply of fuel free-wood to workers residing in of near forest area during the period of construction.	Alternate Energy source will be provided to reduce the fuel wood

Divisional Manager (Mining)
Uttrakhand Forest Development Corporation,
Khanan Ramnagar Division (Nainital)

प्रभागीय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम खनन
रामनगर (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

Name of project:–Collection of the minor mineral from the

KOSI DABKA PART II RIVER.

Parameter for Evaluation of loss of Benefits, not withstanding loss of forests:-

Nature of Proposal:-Collection of the minor mineral from the Kosi Dabka Part- II River.

Sr.No	Particulars	Minor irrigation projects, quarrying of stones/metals
1	Loss of value of timber, fuelwood and minor forest produce of an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage form harvest of these commodities.	Minor mineral will be collected from middle of the river. By doing so, it will be ensured that the nearby forest land and habitat would be protected.
2	Loss of animal's husbandry productivity including loss of fodder.	There is no loss of animal's husbandry productivity and loss of fodder because collection of minor mineral will be done in the middle of the seasonal river which is free from fodder and hence from animals.
3	Cost of human resettlement.	There is no settlement as the area is a reserved forest within river bed.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Road, Building, Schools, Dispensaries, Electric line, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	No public facilities exist in the proposed site and there is no need for diversion of infrastructure in and around the site.
5	Environment losses: (soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, Microclimate upsetting of ecological balance)	E.C. is being carried out to look into it. The conservation work is being carried out by Forest Department.
6	Suffering to outers.	There is no resettlement issue due to the project.

Divisional Manager, (Mining)
Uttrakhand Forest Development Corporation
Khanan Ramnagar Division (Nainital)

प्रभागीय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन
रामनगर (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

(संलग्नक-06)

No. J-11015/359/2009-IA.II(M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Impact Assessment Division
***

Indira ParyavaranBhavan,
Prithvi Wing, 3rd Floor, Aliganj,
JorBagh Road, New Delhi-110 003

Dated:1st March, 2021

To,
M/S UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION
Uttarakhand Van Vikas Nigam
KhananRamnagarAamdanda
Nainital-244715.
Uttarakhand.

Sub.: Collection of Minor Mineral (Reta, Bajri and Boulder) from the River Bed of Dabka River by M/s Uttarakhand Van Vikas Nigam KhananRamnagarDabka located in Tarai West Forest Division, Ramnagar, District Nainital, Uttarakhand (223.0 ha)- Extension of validity of EC regarding.

Sir,

This is with reference to proposal no. **IA/UK/MIN/8695/2011** of M/s Uttarakhand Van Vikas Nigam KhananRamnagarDabka is for Amendment w.r.t. the extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 15thFebruary, 2023. The EC was granted vide Letter No. J-11015/359/2009- IA.II(M) dated 15.04.2011 for Collection of Reta, Bajri and Boulder (Minor Mineral) from the River Bed of Dabka River by M/s Uttaranchal Forest Development Corporation, located in Tarai West Forest Division, Ramnagar, District Nainital, Uttarakhand (223.0 ha).

2. As per EIA Notification dated 14th September, 2006 as amended from time to time, the project falls under Category B or Activity 1(a) as the mining lease area is more than 100 ha.

3. PP has submitted that Environmental Clearance was granted vide Letter No. J11015/359/2009-IA.II(M) dated 15.04.2011 wherein at Para 6 of EC letter it has specifically mentions that, "The Ministry of Environment and Forests has examined the application in accordance with the EIA Notification, 2006 and hereby accords environmental clearancefor a period of 10 years or till the forestry clearance whichever is earlier, subject to implementation of the following conditions and environmental safeguards." PP submitted that MoEF&CC vide its letter F. No. 8- 61/1999-FC (pt-II) dated 15.02.2013 granted Forest Clearance for a period of 10 years and is valid till 15.02.2023. Since, EC is also valid for a period of 10 years i.e. till 15.04.2021, therefore, PP has requested for extension of validity

Pankaj Verma

Scanned with CamScanner

of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 15th February, 2023 for hassle free operations and applied for extension of validity of EC vide its Proposal No. IA/UK/MIN/8695/2011 dated 18.11.2020 and the proposal was considered in the 24th EAC meeting held during 9th -11th December, 2020.

4. Based on the discussion held and documents submitted by PP Committee recommended the proposal by M/sUttarakhand Forest Development CorporationRamnagarDabka for amendment w.r.t. the extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 15th February, 2023.

5. The Ministry of Environment, Forest & Climate Change has examined the proposal in accordance with the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and further amendments thereto; and after accepting the recommendation of EAC meeting held during 9th to 11th December,2020hereby decided to accord the amendment of Environmental Clearance under the provisions there to the above mentioned proposal for grant of extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 15th February, 2023. All other terms & conditions of the Environmental Clearance granted vide J-11015/359/2009- IA.II(M) dated 15.04.2011 shall remain same and Environmental Clearance is valid up to 15.02.2023.

6. The PP shall implement the conditions prescribed in Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, as applicable for PP. Implementation report with supporting documents & photographs before and after shall be submitted to the Regional Office of MoEF&CC before 1st July of every year for the activities carried out during previous year.

7. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

8. Concealing factual data or submission of false/fabricated date and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection)Act, 1986.

9. The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Court and any other Court of law relating to the subject matter.

10. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the national Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

11. PP shall also obtain the NOC from the statutory bodies as required to be obtained.

Scanned with CamScanner

12. These issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

Pankaj Verma

(PankajVerma)
Scientist 'E'
Email- pankaj.verma@nic.in
Tel./Fax- 011-24695264

Copy to:

1). The Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2). The Secretary, Department of Mines & Geology, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
3). The Secretary, Department of Environment, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
4). Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
5). The Chief Conservator of Forests, Central Region, Ministry of Environment and Forests, B-1/72, SectorA, Aliganj, Lucknow-226020.
6). The Member Secretary, Central Pollution Control Board, PariveshBhavan, CBD-cum-Office complex, East Arjun Nagar, New Delhi-1100032.
7). The Member Secretary, Central Ground Water Authority, A-2, W3, Curzon Road Barracks, K.G. Marg, New Delhi-110001.
8). The Member Secretary, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, E-115, Nehru Colony, Hardwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
9). The Controller General, Indian Bureau of Mines, Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440 001.
10). The District Collector, Nainital District, Uttarakhand.
11). Guard File.
12). PARIVESH PORTAL.

Pankaj Verma

(Pankaj Verma)
Scientist 'E'

Scanned with CamScanner

(संलग्नक-07)

F.No. J-11015/360/2009-IA.II(M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Impact Assessment Division
***

Indira Paryavaran Bhavan,
Vayu Wing, 3rd Floor, Aliganj,
Jor Bagh Road, New Delhi-110 003

Dated 30 March, 2021

To,

M/s Uttaranchal Forest Development Corporation
Uttarakhand Van Vikas Nigam,
Khanan Ramnagar Aamdanda,
Nainital-244715.

Sub.: Collection of Minor Mineral (Reta, Bajri and Boulder) from the River Bed of Kosi River by M/s Uttarakhand Van Vikas Nigam Khanan Ramnagar Kosi located in Tarai West Forest Division, Ramnagar, District Nainital, Uttarakhand (254.0 ha)-Extension of validity of EC regarding.

Sir,

This is with reference to proposal no. IA/UK/MIN/8711/2011 of M/s Uttarakhand Van Vikas Nigam Khanan Ramnagar Kosi is for Amendment w.r.t. the extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 15th February, 2023. The EC was granted vide Letter No. J-11015/360/2009-IA.II(M) dated 13.04.2011 for Collection of Reta, Bajri and Boulder (Minor Mineral) from the River Bed of Kosi River by M/s Uttaranchal Forest Development Corporation, located in Tarai West Forest Division, Ramnagar, District Nainital, Uttarakhand (254.0 ha).

2. As per EIA Notification dated 14th September, 2006 as amended from time to time, the project falls under Category A or Activity 1(a) as the mining lease area is more than 100 ha.

3. PP has submitted that Environmental Clearance was granted vide Letter No. J-11015/360/2009-IA. II(M) dated 13.04.2011 wherein at Para 6 of EC letter it has specifically mentions that, "The Ministry of Environment and Forests has examined the application in accordance with the EIA Notification, 2006 and hereby accords environmental clearance for a period of 10 years or till the forestry clearance whichever is earlier, subject to implementation of the following conditions and environmental safeguards." PP submitted that MoEF&CC vide its letter F. No. 8- 61/1999-FC (pt-I) dated 15.02.2013 granted Forest Clearance for a period of 10 years and is valid till 15.02.2023. Since, EC is also valid for a period of 10 years i.e. till 13.04.2021, therefore, PP has requested for extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 15th February, 2023 for hassle free operations and applied for extension of validity of EC vide its Proposal No. IA/UK/MIN/8711/2011 dated 21.11.2020 and the proposal was considered in the 24th EAC meeting held during 9th - 11th December, 2020.

Pankaj Verma

Scanned with CamScanner

4. Based on the discussion held and documents submitted by PP, Committee **recommended** the proposal M/s Uttarakhand Van Vikas Nigam Khanan Ramnagar Kosi for amendment w.r.t. the extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 15th February, 2023 subject to submission of the following:

I. As mentioned in the EC Letter No. J-11015/360/2009-IA.II(M) dated 13.04.2011that the Jim Corbet National Park is located within buffer zone of the mine at a distance 6.2 km NW from the mine lease boundary and also location of Shivalik elephant reserve within the core zone, PP need to submit NBWL Clearance.
II. NOC from the Statutory bodies as required to be obtained.
III. RO Compliance Report.
IV. All other Term and conditions stipulated in the Environment Clearance letter dated 13.04.2011.

5. Project proponent has forwarded the letter dated 29.01.2013 through an email dated 24.02.2021, where in it is mentioned that the minimum aerial distance of Corbett Tiger Reserve from the Kosi river mining area has been certified as 10.5 km as per the GPS location and report of Division Forest Officer submitted by Director, Corbett Tiger Reserve vide Lr. No. 1350/9-2(1) dated 19.01.2013. PP also submitted the letter dated 14.12.2020 and 3.01.2021.

6. The Ministry of Environment, Forest & Climate Change has examined the proposal in accordance with the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and further amendments thereto; and after accepting the recommendation of EAC meeting held during 9th -10th December, 2020 hereby decided to accord the amendment of Environmental Clearance under the provisions there to the above mentioned proposal for grant of extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 15th February, 2023. All other terms & conditions of the Environmental Clearance granted vide J-11015/360/2009-IA.II (M) dated 13.04.2011 shall remain same and Environmental Clearance is valid up to 15th February, 2023.

7. The PP shall implement the conditions prescribed in Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, as applicable for PP. Implementation report with supporting documents & photographs before and after shall be submitted to the Regional Office of MoEF&CC before 1st July of every year for the activities carried out during previous year.

8. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

9. Concealing factual data or submission of false/fabricated date and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

10. The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made

Scanned with CamScanner

there under and also any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Court and any other Court of law relating to the subject matter.

11. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the national Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

12. PP shall also obtain the NOC from the statutory bodies as required to be obtained.

13. These issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

Pankaj Verma

(Pankaj Verma)
Scientist 'E'
Email- pankaj.verma@nic.in
Tel./Fax- 011-24695264

Copy to:

1. . The Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. . The Secretary, Department of Mines & Geology, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
3. . The Secretary, Department of Environment, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
4. . Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
5. . The Chief Conservator of Forests, Central Region, Ministry of Environment and Forests, B-1/72, SectorA, Aliganj, Lucknow-226020.
6. . The Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan, CBD-cum-Office complex, East Arjun Nagar, New Delhi-1100032.
7. . The Member Secretary, Central Ground Water Authority, A-2, W3, Curzon Road Barracks, K.G. Marg, New Delhi-110001.
8. . The Member Secretary, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, E-115, Nehru Colony, Hardwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
9. . The Controller General, Indian Bureau of Mines, Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440 001.
10.. The District Collector, Nainital District, Uttarakhand.
11.. Guard File.
12.. PARIVESH PORTAL.

Pankaj Verma

(Pankaj Verma)
Scientist 'E'

Scanned with CamScanner

(संलग्नक-09) IX

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotw @ rediffmail.com

पत्रांक 3443 /9-1 (3) दिनांक, रामनगर 15-4 2021

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,रामनगर

विषय – जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग–02 से 150 है0 वन भूमि में उप खनिज चुगान हेतु (रेता, बजरी, बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षो की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 55/कोसी दाबका भाग–02 दिनॉक 08–04–2021

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की वन एवं पर्यावरण अनुभाग–02 के पत्रांक–1777/1(2) व0ग्रा0वि0/2002–19(2)/2002/ दिनॉक 28–10–2002 से जारी "शिवालिक एलिफेन्ट रिजर्व क्षेत्र " की अधिसूचना की अनुसूची के बिन्दु (क) में वर्णित वन प्रभागों में इस वन प्रभाग का ऊधमसिंह नगर जिले के अन्तर्गत 105.29 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र "शिवालिक एलिफेन्ट रिजर्व" के अन्तर्गत आता है तथा बिन्दु संख्या (ख) में वर्णित बफर क्षेत्र के अन्तर्गत इस वन प्रभाग के उत्तरी जसपुर एवं दक्षिणी जसपुर राजि का क्षेत्र आता है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की वन एवं पर्यावरण अनुभाग–02 के पत्रांक–1777/1(2) व0ग्रा0वि0/2002–19(2)/2002/ दिनॉक 28–10–2002 के अनुसार कोसी एवं दाबका भाग–02 का उपखनिज चुगान क्षेत्र "शिवालिक एलीफेन्ट रिजर्व" के अन्तर्गत नहीं आता है।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,रामनगर

संख्या 3443/ दिनांकित
प्रतिलिपि क्षेत्रीय प्रबन्धक(प0क्षे0) उ0व0वि0निगम रामनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,रामनगर

पत्रांक 63
दिनांक 15/04/2021

श्री तिवारी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(संलग्नक-10)

(42)

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या- 1777/1(2)/व.प्रा.वि./2002-19(a)/2002
देहरादून: दिनांक 29 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 7-2/00(पीई), दिनांक 14-2-2002 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को श्री राज्यपाल 'शिवालिक एलिफेण्ट रि क्षेत्र घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

(क) क्षेत्रफल व जनपद : क्षेत्रफल- 5405.07 वर्ग किमी०

जनपद- देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं चम्पावत।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वनों का क्षेत्रफल (वर्ग किमी० में)
देहरादून	कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग	99.07
	देहरादून वन प्रभाग	369.52
	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	236.40
हरिद्वार	हरिद्वार वन प्रभाग	159.38
	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	333.62
गढ़वाल	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	250.40
	लैन्सडौन वन प्रभाग	376.42
	कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग (कार्बेट टाइगर रिजर्व)	606.60
	रामनगर टाइगर रिजर्व प्रभाग (कार्बेट टाइगर रिजर्व)	350.40
नैनीताल	रामनगर टाइगर रिजर्व प्रभाग (कार्बेट टाइगर रिजर्व)	311.00
	तराई पूर्वी वन प्रभाग	187.26
	रामनगर वन प्रभाग	292.54
	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	192.38
	हल्द्वानी वन प्रभाग	674.01
अल्मोड़ा	कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग (कार्बेट टाइगर रिजर्व)	20.00

...2

Scanned with CamScanner

पत्रांक- 1777(1)/1(2)/व.प्र.नि./2002-19(2)/2002 उनसे निर्गमित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मा० वन, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
8. अपर महानिदेशक (वन्य जीव), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003
9. वन महानिरीक्षक एवं निदेशक, प्रोजेक्ट एलीफेन्ट, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003
10. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, शिविर-देहरादून।
11. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
12. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की को उक्त अधिसूचना को उत्तरांचल के राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं मय 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ।

भवदीय,

(अशोक)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner

(संलग्नक -11)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in
Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या– 3990 / 12–1 दिनांक 06 / 06 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक खनन,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर नैनीताल।

विषय :– **Proposal for non-forestry use of 150 ha of forest land in favour of M/s Uttarakhand Van Vikas Nigam, Khanan Prabhag, Ramnagar for Mining of minor Minerals (RBM) from Kosi-Dabka part-2 Rivers falling in the jurisdication of Tarai West, Ramnagar Froest Division and District Udham Singh Nagar, Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/MIN/60921/2020) reg.**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–08–30/2021–एफ0सी0 दिनांक 10–01–2022 एवं आपका पत्रांक–4133/कोसी दाबका–भाग–(2) दिनांक 31–03–2022 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित विन्दु संख्या–13 एवं 14 की अनुपालन आख्या सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी माणिकनाथ राजि के पत्रांक–736/12 दिनांक 06–04–2022 एवं पत्रांक–886/12–1 दिनांक 18–05–2022 एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग की संस्तुति पत्रांक–1840/12 दिनांक 28–05–2022 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0	आपत्ति का विवरण	निराकरण प्रतिउत्तर
13	The CA Land is being done in Double Degraded forest land. does it a civil Soyam land? if so would it be mutated in the name of forest department and handed over for management?	विन्दु संख्या–13 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित परियोजना में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभाग द्वारा आरक्षित अवनत वन भूमि का चयन किया गया है, जो नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के माणिनाथ राजि के अन्तर्गत पड़ता है एवं पूर्व से ही उत्तराखण्ड वन विभाग के स्वामित्व में है।
14	it may be clarified whether the CA land proposed is covered with any working plan if so whether these lands are recommended for plantation?	विन्दु संख्या–14 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित त्यूणा कक्ष संख्या–01, 02 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की चालू कार्ययोजना (वर्ष 2013–14 से 2022–23 तक) के वृक्षारोपण (अतिच्छादी) कार्यवृत्त के बांज रोपण श्रेणी में सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन के तालिका संख्या–15.9 के विन्दु सं0–6 एंव 11 (प्रति संलग्न–1) एवं मरोड़ा कक्ष संख्या–05 चीड़ रोपण श्रेणी में सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन के तालिका संख्या–15.7 के विन्दु संख्या–5 (प्रति संलग्न–2) में वनीकरण हेतु दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त शेष चयनित अवनत वन भूमि चौंठ–1, 2, मिन्डाथ–3, लक्षमोली–1 एंव कौलीगाड़–2 का घनत्व 0.4 से कम

Scanned with CamScanner

		होने के कारण (प्रति संलग्न–3) उक्त क्षेत्रों का चयन क्षतिपूरक वनीकरण हेतु किया गया है। तथा सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, माणिकनाथ राजि द्वारा अपने पत्रांक–886 / 12–1 दिनांक 18–05–2022 एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग की संस्तुति पत्रांक–1840 / 12 दिनांक 28–05–2022 से भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सर्वथा उपयुक्त है जिसमें 1600 पौध प्रति हे0 की दर से वनीकरण सम्पादित किया जा सकता है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः–3990 / 12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी माणिकनाथ राजि, देवप्रयाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।
पत्रांक– 886 / 12–1, देवप्रयाग, दिनांक 18-5-2022।

सेवा में,

उप वन संरक्षक
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती।

द्वारा– उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती।

विषय– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक–3554 / 12–1, दिनॉक–23.04.2022.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम मे अवगत करना है कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की प्रचलित कार्ययोजना (2013–14 से वर्ष 2022–23) तक के तालिका संख्या–15.9 में त्यूणा कक्ष सं0–1 व 2 तथा तालिका संख्या–15.7 में मरोड़ा कक्ष संख्या–05 वृक्षारोपण हेतु दर्शायी गयी है। उक्त क्षेत्रों में क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत 1600 पौध प्रति हे0 के अनुसार पौध रोपण कार्य किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिकों के द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार अपनी रिपोर्ट दी गयी है।

अतः मॉगी गयी सूचना उक्तानुसार महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न– सम्बन्धित कार्मिकों के द्वारा दी गयी रिपोर्ट।

प्राप्ति 26-05-22

पत्रांक 1840/12 दि0 28-05-22

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह)
वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ राजि, देवप्रयाग।

मूल में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, महोदय की सेवा में संस्तुति सहित प्रेषित !

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)

मान्यवर

31/05/2022

महोदय,

यद्यपि उक्त क्षेत्र कार्ययोजना मे सटायातित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु प्रस्तावित है। परन्तु क्षेत्र मे वृक्ष घनत्व अत्यन्त कम (0.3 से कम) होने के फलस्वरूप 1600 पौधा / हेक्टेयर के अनुसार वनीकरण सम्पादित किया जा सकता है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

वार्ता में

Scanned with CamScanner

ई-मेल :- romantikonath@gmail.com
दूरभाष :- 9438445770, 9027332510

कार्यालय- वन क्षेत्राधिकारी माणिकनाथ राजि, देवप्रयाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

पत्रांक- 736/12 देवप्रयाग, दिनांक 6.4.2022।

प्राप्त 13/04/022
प्राप्तकर्ता का पदनाम
कार्यालय का नाम-न व प्र मुनि-की-रेती

प्रेषक,

उप वन संरक्षक
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती।

द्वारा:- उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती।

विषय- क्षतिपूरक वृक्षारोंपण हेतु वन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 6783/12-1, दि0-06/04/2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में वन विकास निगम रामनगर प्रभाग के द्वारा उप खनिज चुगान हेतु आंवटित कि गई कौसी दाबका भाग-2 नदी के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित निम्न वन भूमि के सम्बन्ध मांगी गई सूचना बिन्दुबार निम्न प्रकार से है:-

कम सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1	नरेन्द्रनगर	माणिकनाथ	त्यूणा कक्ष सं0-1, 2	30
2			बौंठ कक्ष सं0-2	50
3			बौंठ कक्ष सं0-1	40
4			मिण्डाथ कक्ष सं0-3	70
5			लक्ष्मोली कक्ष सं0-1	45
6			मरोड़ा कक्ष सं0-2,3,4,5	50
7			कोलीगाड़ कक्ष सं0-2	15
			योग	300

1. उक्त प्रस्तावित वन क्षेत्र सिविल सोयम नही है, यह भूमि पूर्व से ही आरक्षित वन भूमि रही है।
2. उक्त सारणी के कम सं0-1 तालिका स0- 15.9 व कम सं0-6 के मरोड़ा कक्ष सं0-5 तालिका स0- 15.7 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की प्रबन्ध योजना वर्ष 2013-14 से 2022-23 में वृक्षारोपण हेतु दर्शायी गई है, व शेष क्षेत्र अवनत वन क्षेत्र होने व घनत्व 0.3 से कम होने के कारण उक्त क्षेत्र का चयन वृक्षारोपण हेतु किया गया है ।

अतः सूचना महोदय की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह)
वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ राजि देवप्रयाग।

प्राप्ति
Rec-8-4-22

पत्रांक-1547/12 दि0-13/04/2022
मूल में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, महोदय की सेवा में संरक्षण सहित प्रेषित।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती
13/04/2022

Scanned with CamScanner

	014–15 2015–16	माणिकनाथ	टोला–6 14-15 ASW 15-16 PIAIV.	10		बांज–50%, सहायक प्रजाति–50 %	2000-3000	उत्तर	N-30°21'22.635" E-078°45'08.427"	–	प्रथम वर्ष मे घेरबाड की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस०एस०पी० बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2016-17	–"–	–"–	–"–	बांज, देवदार, बुरांश, अंयार, मोरू, जमनोई, कैल, कांचुला	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष ओक कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर ओक प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ कम व मध्यम गोलाई के वृक्ष भी स्थित है।
5	वर्ष 2014–15 से 2015–16	शिवपुरी	गुल्सी–6अ	5		बांज–40%, सहायक प्रजाति–60 %	2000-3000	पश्चिमी	N-30°24'39.212" E-078°15'08.458"	–	प्रथम वर्ष मे घेरबाड की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस०एस०पी० बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2016-17	–"–	–"–	–"–	बांज, अंयार, बुरांश, देवदार,मोरू, जमनोई, कांचुला, कैल, दर्ली	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष ओक कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर ओक प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ कम व मध्यम गोलाई के वृक्ष भी स्थित हैं।
				15							
6	वर्ष 2015–16 से 2016–17	माणिकनाथ	त्यूना–2	5		बांज–40%, सहायक प्रजाति–60 %	1500-2000	उत्तर–पूर्वी	N-30°17'58.653" E-078°37'43.531"	–	प्रथम वर्ष मे घेरबाड की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस०एस०पी० बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2017-18	–"–	–"–	–"–	बांज, देवदार, कैल, काफल, अखरोट, उत्तीस, कठमोज, पदम, अंगू, गगोरा, पांगर	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष ओक कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर ओक प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ कम गोलाई के वृक्ष स्थित है।
7	वर्ष 2015–16 से 2016–17	सकलाना	मंजगांव–3	10		बांज–20%, सहायक प्रजाति–80 %	1500-2000	दक्षिण	N-30°23'20.069" E-078°15'15.525"	जाली डाण्डा/ कुण्ड स्रोत, सूरी कार्ड स्रोत, रोसियाखाल स्रोत, राजखिल स्रोत	प्रथम वर्ष मे घेरबाड की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस०एस०पी० बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2017-18	–"–	–"–	–"–	बांज, बुरांश, मैकल, खड़िक, उत्तीस, अखरोट, पदम, अंगा, पांगर	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष ओक कार्यवृत्त मे है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर ओक प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ कम गोलाई के वृक्ष स्थित है। कक्ष में जाल डाण्डा व रोसियाखाल श्रोत का उपचार अलग से किया जाएगा।
				15							

Scanned with CamScanner

8	वर्ष 2016–17 से 2017–18	माणिकनाथ	डागर–8	10	बांज, बुरांश, काफल, अखरोट, सुरई, खड़ीक, पांगर, अंगा, भेंकल	बांज–30%, सहायक प्रजाति–70 %	1500-2000	दक्षिण–पश्चिमी	N-30°21'46.180" E-078°42'19.177"	घरपानी स्रोत	प्रथम वर्ष में घेरबाड़ की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड़ व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस0एस0पी0 बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2018-19	–"–	–"–	–"–	बांज, बुरांश, काफल, अखरोट, सुरई, खड़ीक, पांगर, अंगा, भेंकल	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष ओक कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर ओक प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ कम गोलाई के वृक्ष स्थित है। कक्ष में घरपानी श्रोत का उपचार अलग से किया जाएगा।
				10							
9	वर्ष 2017–18 से 2018–19	माणिकनाथ	डागर–3	5		बांज–30%, सहायक प्रजाति–70 %	1000-1500	दक्षिण–पूर्वी	N-30°20'05.044" E-078°41'46.293"	कुरोली खाल स्रोत	प्रथम वर्ष में घेरबाड़ की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड़ व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस0एस0पी0 बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2019-20	–"–	–"–	–"–	बांज, बांस, कचनार बकैन, बेड़ू, पहाड़ी पीपल, पदम	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष ओक कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर ओक प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ मध्यम गोलाई के वृक्ष स्थित हैं। कक्ष में ए.एन.आर. कुरोली खाल श्रोत के ऊपर की आर प्रस्तावित है जिससे श्रोत उपचारित होगा।
10	वर्ष 2017–18 से 2018–19	सकलाना	सौड़–5य	5		बांज–30%, सहायक प्रजाति–70 %	2000-3000	दक्षिण–पश्चिमी	N-30°24'55.834" E-078°20'26.851"	–	प्रथम वर्ष में घेरबाड़ की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड़ व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस0एस0पी0 बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2019-20	–"–	–"–	–"–	बांज, अंयार, बुरांश, कांघुला, जमनोई, कैल, दर्ली	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष ओक कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर ओक प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ मध्यम गोलाई के वृक्ष स्थित है।
				10							
11	वर्ष 2018–19 से 2019–20	माणिकनाथ	त्यूना–1	10		बांज–30%, सहायक प्रजाति–70 %	1500-2000	दक्षिणी	N-30°17'48.448" E-078°37'12.861"	–	प्रथम वर्ष में घेरबाड़ की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड़ व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस0एस0पी0 बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2020-21	–"–	–"–	–"–	बांज, बुरांश, खड़िक, भेंकल, उल्लीरा, वाटमोज, अगू, पांगर,	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष ओक कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर ओक प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ मध्यम गोलाई के वृक्ष स्थित है।

Scanned with CamScanner

					अखरोट, अंगा, भमोरा, पांगर, सहतूत						चीड कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है वह स्थान चीड़ व ओक के मिलान का क्षेत्र है इस स्थान पर ओक व चीड़ प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ मध्यम व अधिक गोलाई के वृक्ष भी स्थित है।
		योग		10							
2	वर्ष 2014–15 से 2015–16	शिवपुरी ✓1415 ASW ✓1516 PLAN.	अदवाणी–2अ	10	चीड़, पदम, बेड़ू, तिमला, सेमला, भीमल, सहतूत	चीड़–30%, सहायक प्रजाति–70 %	-	-	-	-	प्रथम वर्ष में घेरबाड की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस0एस0पी0 बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2016-17	–"–	–"–	–"–	चीड़, पदम, बेड़ू, तिमला, सेमला, भीमल, सहतूत	-	-	-	-	-	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष चीड़ कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर चीड़ प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ मध्यम गोलाई के वृक्ष भी स्थित हैं।
3	वर्ष 2014–15 से 2015–16	सकलाना	मंजगांव– 5	10	चीड़, काफल, अखरोट, उत्तीस, पदम, अंगा, भमोरा, पांगर	चीड़–30% व सहायक प्रजाति–70 %	1500-2000	दक्षिण	N-30°21'46.726" E-078°15'16.139"	-	प्रथम वर्ष में घेरबाड की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस0एस0पी0 बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2016-17	–"–	–"–	–"–	चीड़, काफल, अखरोट, उत्तीस, पदम, अंगा, भमोरा, पांगर	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष चीड़ कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर चीड़ प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ मध्यम व अधिक गोलाई के वृक्ष भी स्थित हैं।
		योग		20							
4	वर्ष 2015–16 से 2016–17	माणिकनाथ	दुण्डसिर– 3	10		चीड़–20% , सहायक प्रजाति–80 %	500-1000	पश्चिमी	N-30°14'33.425" E-078°45'46.695"	-	प्रथम वर्ष में घेरबाड की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस0एस0पी0 बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2017-18	–"–	–"–	–"–	चीड़, बेड़ू, तिमला, धौड़ी, पहाड़ी पिपल, सहतूत	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष चीड़ कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर चीड के पुर्नजनन के साथ–साथ अधिक गोलाई के वृक्ष भी स्थित है
5	वर्ष 2015–16 से 2016–17	माणिकनाथ	मरोडा–5	10	चीड़, सेमल, कचनार, छतेन, रोहणी, सिरस, शीशम, खैर, गुलर, सहतूत	चीड़–50% , सहायक मिश्रित प्रजाति–50 %	500-1000	उत्तर–पश्चिमी	N-30°11'45.801" E-078°32'47.896"	-	प्रथम वर्ष में घेरबाड की जाएगी तथा दूसरे वर्ष भूमि संरक्षण कार्य किया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में घेरबाड व भूमि संरक्षण कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन कार्य एस0एस0पी0 बनायी जाएगी तत्पश्चात ए.एन.आर. कार्य किया जाएगा।
	2017-18	–"–	–"–	–"–	चीड़, सेमल, कचनार, छतेन, रोहणी, सिरस, शीशम, खैर, गुलर, सहतूत	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	प्रस्तावित ए.एन.आर. क्षेत्र का कक्ष चीड़ कार्यवृत्त में है व जिस स्थान पर ए.एन.आर. प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर चीड़ व मिश्रित प्रजाति के पुर्नजनन के साथ–साथ मध्यम गोलाई के वृक्ष भी स्थित है व कम संख्या में चीड़ का पुर्नजनन भी है। कार्ययोजना के अन्तिम पांच वर्षों में कक्ष में लीसा टिपान कार्य किया जाना है। लीसा टिपान से होने वाली चीड़ वृक्षों के क्षति की आपूर्ति हेतु चीड़ प्रजाति का अधिक रोपण

Scanned with CamScanner

क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.2 से 0.3 के मध्य है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.2 से 0.3 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 1 से 19 तक कुल 19 मुनारें हैं। कक्ष के निकट सानिध्य में पाली व जरारू गांव स्थित है जिसका कक्ष पर दबाव रहता है।

62–कक्ष परिचय– चौंठ कक्ष संख्या–1

चौंठ कक्ष संख्या–1, माणिकनाथ राजि, चौंठ बीट में भरपूर सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का कुल

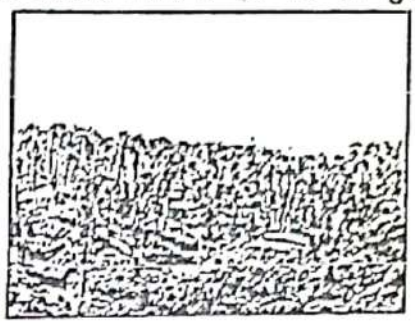

क्षेत्रफल 88.30 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 1101 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 1734 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°7'15.330" E-78°31'56.884" व ऊंचाई 1534 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में किलोड गांव की सिविल भूमि, पश्चिम दिशा में गिनाथ कक्ष संख्या–3 का आंशिक भाग, उत्तर दिशा में चौंठ कक्ष संख्या–2 तथा दक्षिण दिशा में किलोड़ गांव की भूमि स्थित है। कक्ष के कुल क्षेत्र के 80 प्रतिशत में चीड़ व सहायक प्रजाति तथा 20 प्रतिशत में बांज व सहायक प्रजाति का वन स्थित हैं। कक्ष की मुख्य प्रजाति चीड़ के साथ कक्ष में बांज, अयांर, बुरांश आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एव झाड़ी के रूप में किल्मोड़ा, हिंसर, साकिना, घिंघारू, लैन्टाना, धौला, तुंगला, कालावांसा आदि व कुमेरिया, ताछिला, गोल्डा आदि प्रजाति की घासें स्थित हैं।

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
Northeast	38.04	0-10 Deg	0.44
East	28.71	10-20 Deg	5.76
North	9.69	20-30 Deg	30.54
Southeast	9.51	30-40 Deg	49.17
North	7.27	40-50 Deg	7.44
Northwest	0.03		

कक्ष के 70 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.5 से 0.6 के मध्य तथा 30 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.4 से 0.5 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 1 से 13 तक कुल 13 मुनारें हैं। कक्ष में किरोड़ से रणीताल पैदल मार्ग (अश्वघटिया) चालू हालत में स्थित है। कक्ष में पथ्यापाणी पानी का श्रोत स्थित है।

163–कक्ष परिचय– चौंठ कक्ष संख्या–2

चौंठ कक्ष संख्या–2, माणिकनाथ राजि, चौंठ बीट में भरपूर सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का कुल

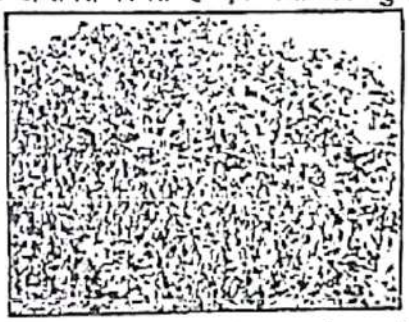

क्षेत्रफल 113.30 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 806 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 1743 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°7'42.076" E-78°32'14.622" व ऊंचाई 1222 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में मरोड़ा गांव की सिविल भूमि व भरपूर गाड, पश्चिम दिशा में चौंठ कक्ष संख्या–3, उत्तर दिशा में मरोड़ा गांव की सिविल भूमि तथा दक्षिण दिशा में चौंठ कक्ष संख्या–1 स्थित है। सम्पूर्ण कक्ष में चीड़ व सहायक प्रजाति के वन स्थित हैं। कक्ष की मुख्य प्रजाति चीड़ के साथ कक्ष में साल, झींगन, अमलताश, असैन, धौड़ी, हरड़, बाकली, रोहिणी आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एव झाड़ी के रूप में करौन्दा, तुंगला, हिंसर, धौला, कालावांसा, लैन्टाना, गाजर घास आदि व ताछिला, कुमेरिया, गोल्डा आदि घासें स्थित हैं। कक्ष के 30 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.4 से 0.5 के मध्य तथा 40 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.2 से 0.3 के मध्य तथा कक्ष में 30 प्रतिशत चीड़ वन का क्षेत्र रिक्त है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.2 से 0.3 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 14 से 31 तक कुल 19 मुनारें हैं। कक्ष में भरपूर–चौंठ चालू मोटर मार्ग व मुन्नाखाल–मरोड़ा–चौंठ पैदल मार्ग चालू हालत में स्थित है। कक्ष में कुलगडी पानी का श्रोत स्थित है। अवसायी कार्ययोजना के दौरान वर्ष 2006–07 में कक्ष में 20 है0 वनीकरण कार्य किया गया है। कक्ष के निकट सानिध्य में मरोड़ा गांव स्थित है जिसका कक्ष पर दबाव

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
Southeast	35.72	0-10 Deg	3.66
East	26.01	10-20 Deg	9.80
South	21.07	20-30 Deg	25.46
Northeast	20.33	30-40 Deg	46.53
Southwest	4.3	40-50 Deg	23.91
North	3.11	50-60 Deg	3.94
North	1.65		113.30
West	1.11		

Scanned with CamScanner

औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.4 से 0.5 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 13 से 20 व 52 से 59 व मुनारा संख्या 1 तक कुल 16 मुनारें हैं। कक्ष में गहेन्द्रा व गोरखा सैण (आबाद) चक स्थित है। कक्ष में किलकलेश्वर–सिल्काखाल चालू मोटर मार्ग स्थित हैं। यह कक्ष अवसायी कार्ययोजना (2003–04 से 2012–13) में संरक्षण कार्यवृत्त में था जिसे पुनरीक्षित कार्ययोजना (2013–14 से 2022–23) में मिश्रित वन संवर्धन एवं सुधार कार्यवृत्त में रखा गया है।

30– कक्ष परिचय– नैथाना कक्ष संख्या–8

नैथाना कक्ष संख्या–8, माणिकनाथ रेन्ज, नैथाना बीट में नीमागाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का कुल

क्षेत्रफल 84.10 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 610 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 934 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°13'48.533" E-78°45'30.494" व ऊंचाई 844 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में घिल्डीयाल गांव की सिविल भूमि, पश्चिम दिशा में ढुंढ़सिर कक्ष

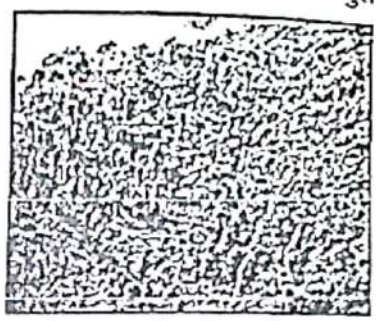

संख्या–3 व 4अ का आंशिक भाग, उत्तर दिशा में देवरीधार व गुठाई गांव की सिविल भूमि तथा दक्षिण दिशा में जाखनी व घण्डियाल गांव की सिविल भूमि स्थित है। कक्ष के कुल क्षेत्र के 28 प्रतिशत में चीड़ प्रजाति, 67 प्रतिशत में मिश्रित प्रजाति का वन तथा 5 प्रतिशत ढंगारी क्षेत्र स्थित है। वर्ष 2011–12 में की गई प्रगणना के अनुसार कुल पेड़ों के 60 प्रतिशत भाग चीड़ प्रजाति से आच्छादित है तथा संख्यावार लगभग 50 प्रतिशत मिश्रित प्रजाति के वन स्थित है। कक्ष की मुख्य प्रजाति चीड़ के साथ कक्ष में अमलताश, खैर, सेमल, बेल, जामुन, कठमहुआ आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एवं झाड़ी के रूप मे करोन्दा, लैन्टाना, हिंसर, बसिंगा, तुंगला,

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect Class	Reported Area	Slope Class	Rep Area
Southeast	42.39	0-10 Deg	1.75
South	23.98	10-20 Deg	10.68
East	12.27	20-30 Deg	54.89
Northeast	4.43	30-40 Deg	17.16
North	1.03	40-50 Deg	0.12

किनगोड़ा आदि व अपलूड़ा, कार्डेटा, अरिसटाटा, थिमिडा, नैपेलेन्सिस आदि घासें व मालझन, दुध्धी, स्माईलैक्स, क्लाईमेटिक्स आदि प्रजाति की बेल (लताऐं) स्थित हैं। कक्ष के 05 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.5 से 0.6 के मध्य, 90 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य तथा कक्ष में 05 प्रतिशत चीड़ वन का क्षेत्र ढंगारी व रिक्त है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 25/1 से 10 तक कुल 10 मुनारें हैं। कक्ष के निकट सानिध्य में घण्डियाल, देवीधार, गौंठ, नैथाना व जाखनी गांव स्थित है जिनका कक्ष पर दबाव रहता है।

31–कक्ष परिचय– लक्षमोली कक्ष संख्या–1अ

लक्षमोली कक्ष संख्या–1अ, माणिकनाथ राजि, लक्षमोली बीट में गुण्डोली गाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं

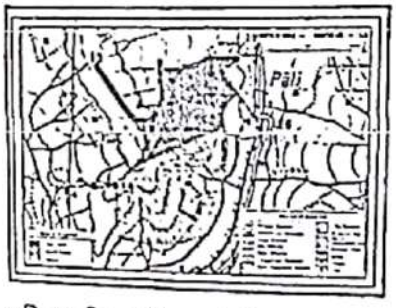

कक्ष का कुल क्षेत्रफल 58.30 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 600 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 960 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°14'57.381" E-78°42'55.554" व ऊंचाई 760 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में लक्षमोली कक्ष संख्या–1ब,

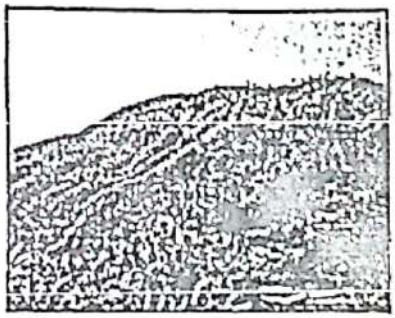

पश्चिम दिशा में लक्षमोली कक्ष संख्या–1ब का आंशिक भाग व डाडुवा गांव की सिविल भूमि, उत्तर दिशा में मुण्डोली गांव की सिविल भूमि तथा दक्षिण दिशा में लक्षमोली कक्ष संख्या–1ब स्थित है। कक्ष के कुल क्षेत्र के 52 प्रतिशत में मिश्रित प्रजाति तथा 48 प्रतिशत में चीड़ प्रजाति का वन स्थित है। वर्ष 2011–12 में की गई प्रगणना के अनुसार कुल पेड़ों के 90 प्रतिशत भाग मिश्रित प्रजाति से आच्छादित है तथा संख्यावार लगभग 10 प्रतिशत चीड़ प्रजाति के वन स्थित है। कक्ष की मुख्य प्रजाति मिश्रित वन में चीड़, रोहिणी, अरौन, सांदन, आंवला, कचनार, खैर, बाकली आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एवं झाड़ी के रूप मे करोन्दा, किनगोड़ा, हिंसर, धौला, साकिना आदि व ताछिला, कुमेरिया आदि घासें व मालझन, सिराला, स्माईलैक्स आदि प्रजाति की बेल (लताऐं) स्थित हैं। कक्ष के 10 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.5 से 0.6 के मध्य तथा 90 प्रतिशत

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect Class	Reported Area	Slope Class	Rep Area
East	25.63	0-10 Deg	4.32
Southeast	18.68	10-20 Deg	10.69
West	5.86	20-30 Deg	34.06
South	3.66	30-40 Deg	9.23
Northwest	2.2		
Northeast	1.68		
Southwest	0.44		
North	0.15		

Scanned with CamScanner

क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 6 से 14/1 तक कुल 09 मुनारें हैं। कक्ष में भैलपानी/पौंठ (आबाद) चक स्थित है। कक्ष मे श्री शेरू पुत्र आषाडू ग्राम पाली टि0 ग0 को 0.405 है0 व श्री सतेश्वर प्रसाद ग्राम पाली टि0 ग0 को 0.2 है0 भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई लीजों के नवीनीकरण की कार्यवाही की जा रही है। कक्ष में छेणाधार–डडवा पैदल मार्ग चालू हालत में स्थित है। कक्ष की दक्षिण दिशा में अलकनन्दा नदी बहती है। कक्ष के निकट सानिध्य में पाली, डडवा व मुण्डोली गांव स्थित है जिनका कक्ष पर दबाव रहता है।

32–कक्ष परिचय– लक्षमोली कक्ष संख्या–1व

लक्षमोली कक्ष संख्या–1व, माणिकनाथ राजि, लक्षमोली बीट में मुण्डोली गाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष

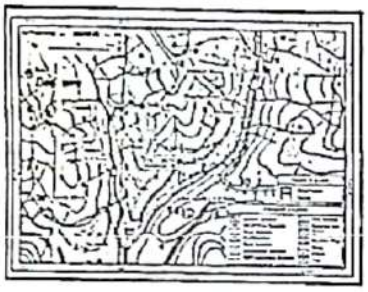

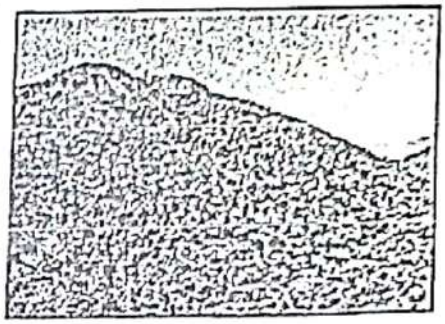

का कुल क्षेत्रफल 64.80 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 536 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 819 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°14'33.467" E-78°42'44.068" व ऊंचाई 659 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में टकोली गाड, पश्चिम दिशा में लक्षमोली कक्ष संख्या–1अ व 2 का आंशिक भाग, उत्तर दिशा में लक्षमोली कक्ष संख्या–1अ तथा दक्षिण दिशा में टकोली गाड स्थित है। कक्ष के सम्पूर्ण क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति का वन स्थित है। कक्ष की मुख्य प्रजाति मिश्रित वन में आंवला, रोहिणी, असैन, कचनार, खैर, बाकली आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एवं झाड़ी के रूप मे धौला, किनगोड़ा, साकिना, हिंसर, तुंगला, आदि व ताछिला, कुमेरिया, गोर्खू आदि घासें व मालझन, सिराला, स्माईलैक्स आदि प्रजाति की बेल (लताऐं) स्थित हैं। कक्ष के 10 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.5 से 0.6 के मध्य, 90 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य तथा 10 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का घनत्व 0.5 से 0.6 के मध्य स्थित है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 2 से 5 व 23/1 से 4 तक कुल 08 मुनारें हैं। कक्ष में छेणाधार–डडवा पैदल मार्ग चालू हालत में स्थित है। कक्ष के निकट सानिध्य में डडवा व जुयालगढ़ गांव स्थित है जिनका कक्ष पर दबाव रहता हैं।

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
Southeast	21.96	0-10 Deg	10.71
South	16.61	10-20 Deg	19.01
West	10.93	20-30 Deg	28.63
Northwest	8.41	30-40 Deg	6.45
Southwest	5.14		
North	1.09		
East	0.55		
North	0.11		

33–कक्ष परिचय– लक्षमोली कक्ष संख्या–2

लक्षमोली कक्ष संख्या–2, माणिकनाथ राजि, लक्षमोली बीट में जखेर गाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष

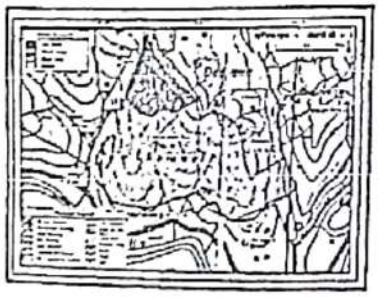

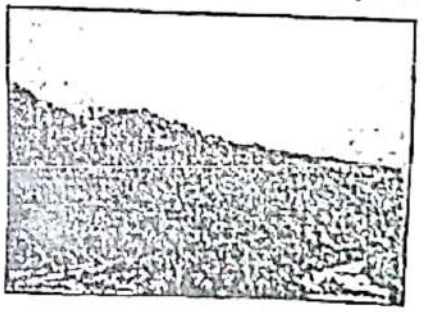

का कुल क्षेत्रफल 123.80 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 544 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 928 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°14'33.660" E-78°41'55.209" व ऊंचाई 809 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख निम्न प्रकार है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में लक्षमोली कक्ष संख्या–1व का आंशिक भाग, पश्चिम दिशा में जखेर गांव की सिविल भूमि, उत्तर दिशा में डडवा गांव की सिविल भूमि तथा दक्षिण दिशा में देवप्रयाग–कीर्तिनगर मोटर मार्ग स्थित है। कक्ष के 80 प्रतिशत क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति का वन, 17 प्रतिशत क्षेत्र में चीड़ प्रजाति का वन तथा 3 प्रतिशत ढंगारी क्षेत्र स्थित है। कक्ष की मुख्य प्रजाति मिश्रित वन में बाकुली, रोहणी, आंवला, चीड़, खैर आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एवं झाड़ी के रूप मे किनगोड़ा, साकिना, धौला आदि व ताछिला, कुमेरिया, गोर्खू आदि घासें व मालझन, सिराला, स्माईलैक्स आदि प्रजाति की बेल (लताऐं) स्थित हैं। कक्ष के 90 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य तथा 10 प्रतिशत मिश्रित वन का क्षेत्र रिक्त है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 6 से 22 तक कुल 17 मुनारें हैं। कक्ष में लक्षमोली/भैलपानी (जंगल मे परिवर्तित) चक स्थित है। कक्ष में लक्षमोली–हिंसरियाखाल चालू मोटर मार्ग स्थित है। कक्ष की दक्षिण दिशा में अलकनन्दा नदी स्थित है। कक्ष के निकट सानिध्य में डडवा, जखेर व लक्षमोली गांव स्थित है

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
South	39.22	0-10 Deg	4.75
Southwest	29.71	10-20 Deg	49.72
East	25.75	20-30 Deg	66.75
Southeast	19.61	30-40 Deg	2.58
West	5.74		
Northeast	3.77		

Scanned with CamScanner

(लतायें) स्थित है। कक्ष के 30 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.4 से 0.5 के मध्य तथा 40 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य तथा कक्ष में लगभग 30 प्रतिशत चीड़ व मिश्रित वन का क्षेत्र ढंगारी है। जिसका औसत घनत्व 0.0 से 0.1 के मध्य है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 33 से 36 तक कुल 04 मुनारें है। कक्ष में मिनाथ–बमुण्ड मोटर मार्ग व नाई–चौंठ कक्ष संख्या–4 तक पैदल मार्ग चालू हालत में स्थित है। कक्ष के निकट सानिध्य में मिनाथ व कुथिया गांव स्थित है जिनका कक्ष पर दबाव रहता है। यह कक्ष अवसायी कार्ययोजना (2003–04 से 2012–13) में संरक्षण कार्यवृत्त में था जिसे पुनरीक्षित कार्ययोजना (2013–14 से 2022–23) में संरक्षण एवं सुधार कार्यवृत्त में रखा गया है।

172–कक्ष परिचय– मिनाथ कक्ष संख्या–3

मिनाथ कक्ष संख्या–3, माणिकनाथ राजि, चौंठ बीट में पुरवालगाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का कुल

क्षेत्रफल 192.20 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 1148 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 1790 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°7'22.478" E-78°31'14.718" व ऊंचाई 1470 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं।

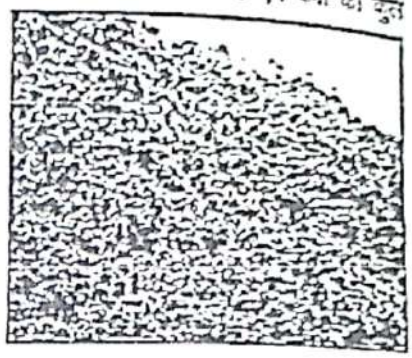

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
Northwest	43.16	0-10 Deg	7.14
West	42.14	10-20 Deg	22.77
Southwest	39.69	20-30 Deg	61.73
South	32.01	30-40 Deg	94.83
Southeast	10.81	40-50 Deg	5.63
East	8.29		
Northeast	7.88		
North	5.17		
Nortl	3.05		

कक्ष की पूर्व दिशा में चौंठ कक्ष संख्या–1 का आंशिक भाग व चौंठ कक्ष संख्या–3, पश्चिम दिशा में मिनाथ गांव की सिविल भूमि, उत्तर दिशा में मिनाथ कक्ष संख्या–2 तथा दक्षिण दिशा में मिनाथ कक्ष संख्या–4 स्थित है। कक्ष के कुल क्षेत्र के 24 प्रतिशत में चीड़ प्रजाति, 74 प्रतिशत में मिश्रित प्रजाति के वन तथा 2 प्रतिशत ढंगारी क्षेत्र स्थित हैं। कक्ष की मुख्य प्रजाति मिश्रित वन में चीड़, बांज, झींगन, बहेड़ा, अमलताश, सेमला, गेंठी, रोहिणी, सैन, कचनार, आंवला, सांदन, कुरुम, वाकली, जामुन आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एव झाड़ी के रूप में करोन्दा, बेन्डू, धौला, किल्मोड़ा, साकिना, शौरू, कालाबांसा आदि व कुनेरिया, ताछिला, गोल्डा आदि घासें व मालझन, दुध्धी आदि प्रजाति की बेल (लतायें) स्थित है। कक्ष के 55 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.4 से 0.5 के मध्य तथा 30 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.2 से 0.3 के मध्य तथा कक्ष में लगभग 15 प्रतिशत मिश्रित वन का क्षेत्र ढंगारी व रिक्त है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 26 से 32 तक कुल 07 मुनारें हैं। कक्ष में मिनाथ–बमुण्ड चालू मोटर मार्ग व पैयापानी–मिनाथ पैदल मार्ग चालू हालत में स्थित है। कक्ष के निकट सानिध्य में मिनाथ गांव स्थित है जिसका कक्ष पर दबाव रहता है। यह कक्ष अवसायी कार्ययोजना (2003–04 से 2012–13) में संरक्षण कार्यवृत्त में था जिसे पुनरीक्षित कार्ययोजना (2013–14 से 2022–23) में संरक्षण एवं सुधार कार्यवृत्त में रखा गया है।

173–कक्ष परिचय– मिनाथ कक्ष संख्या–4

मिनाथ कक्ष संख्या–4, माणिकनाथ राजि, चौंठ बीट में पुरवालगाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का कुल

क्षेत्रफल 138.00 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 862 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 1644 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°6'38.858" E-78°30'58.362" व ऊंचाई 1362 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में कौड़ियाला कक्ष संख्या–2, पश्चिम दिशा में मिनाथ व फलसारी गांव की भूमि, उत्तर दिशा में मिनाथ कक्ष संख्या–3 तथा दक्षिण दिशा में योरगांव व कुण्डी गांव की सिविल भूमि स्थित है। कक्ष के कुल क्षेत्र के 31 प्रतिशत में चीड़ प्रजाति, 66 प्रतिशत में मिश्रित प्रजाति के वन तथा 4 प्रतिशत ढंगारी क्षेत्र स्थित हैं। वर्ष 2011–12 में की गई प्रगणना के अनुसार कुल पेडो के 40 प्रतिशत भाग चीड़ प्रजाति से आच्छादित है तथा संख्यावार लगभग 60 प्रतिशत

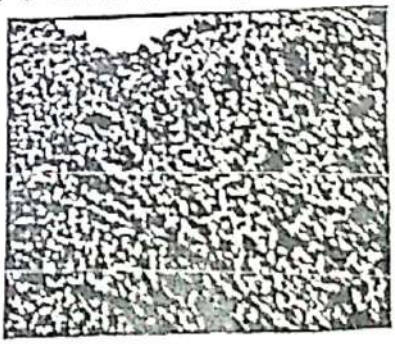

Scanned with CamScanner

मिश्रित प्रजाति स्थित है। कक्ष की मुख्य प्रजाति मिश्रित वन में चीड़, साल, बाकली, पौड़ी, आंवला, रोंगला, कनार, हल्दू, सेन, मन्दार, खैर, कन्जू, रोहिणी, अमलतास, जामुन, बहेड़ा, झींगन, खिन्ना आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एवं झाड़ी के रूप में करोन्दा, बेन्दू, धौला, किलमोड़ा, साकिना, शौरू, कालाबांसा आदि व कुमेरिया, ताछिला, गोल्डा आदि घासों व मालशन, दुधी आदि प्रजाति की बेल (लतायें) स्थित है। कक्ष के 50 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.4 से 0.5 के मध्य तथा 20 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.2 से 0.3 के मध्य तथा कक्ष में 30 प्रतिशत चीड़ व मिश्रित वन का क्षेत्र रिक्त व ढंगारी है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.2 से 0.3 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 18 से 25 तक कुल 08 मुनारें हैं। कक्ष में गिनाथ–बमुण्ड चालू मोटर मार्ग व कुण्डी–पैयापाणी–गिनाथ पैदल मार्ग चालू हालत में स्थित है। कक्ष के निकट सानिध्य में गिनाथ, पलसारी, बोरगांव व कुण्डी गांव स्थित है जिनका कक्ष पर दबाव रहता है। यह कक्ष अवशासी कार्ययोजना (2003–04) में संरक्षण कार्यवृत्त में था जिसे पुनरीक्षित कार्ययोजना (2013–14 से 2022–23) में संरक्षण एवं सुधार कार्यवृत्त में रखा गया है।

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
Southwest	36.72	0-10 Deg	2.17
West	35.69	10-20 Deg	11.14
Northwest	31.87	20-30 Deg	40.95
Southeast	20.37	30-40 Deg	64.76
South	10.52	40-50 Deg	19.43
North	1.55		
East	1.03		
Northeast	0.21		
North	0.07		

174–कक्ष परिचय– कोलीगाड कक्ष संख्या–1

कौलीगाड कक्ष संख्या–1, माणिकनाथ राजि, बौंठ बीट में कोलीगाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का

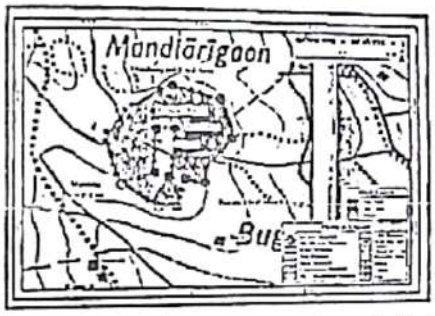

कुल क्षेत्रफल 12.10 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 947 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 1154 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°6'37.075" E-78°28'41.182" व ऊंचाई 1054 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में बुगाला गांव की सिविल भूमि,

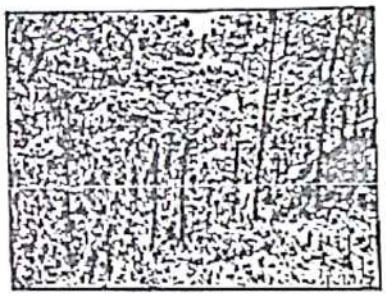

पश्चिम दिशा में मुण्डाला गांव की सिविल भूमि, उत्तर दिशा में मडियारी गांव की सिविल भूमि तथा दक्षिण दिशा में मुण्डाला व बुगाला गांव की सिविल भूमि स्थित है। कक्ष के कुल क्षेत्र के 43 प्रतिशत में साल प्रजाति तथा 57 प्रतिशत में चीड़ प्रजाति के वन स्थित हैं। वर्ष 2011–12 में की गई प्रगणना के अनुसार कुल पेड़ों के 50 प्रतिशत भाग साल प्रजाति से आच्छादित है तथा संख्यावार लगभग 50 प्रतिशत चीड़ प्रजाति के वन स्थित है। कक्ष की मुख्य प्रजाति साल के साथ कक्ष में चीड़, कालासीरस, झींगन, मेहल, हल्दू आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एव झाड़ी के रूप में लैन्टाना, किनगोड़ा, कालाबांसा, बेन्दू, धौला आदि व कुमेरिया, ताछिला, गोल्डा आदि घासें स्थित है। कक्ष के 15 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य तथा 30 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.2 से 0.3 के मध्य तथा कक्ष में 55 प्रतिशत चीड़ व साल वन का क्षेत्र रिक्त है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.1 से 0.2 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 1 से 8 तक कुल 08 मुनारें हैं। कक्ष में सलयाणी (बंजर) चक स्थित है। कक्ष के निकट सानिध्य में बुगाला, मुण्डाला व मडियारी गांव स्थित है जिनका कक्ष पर दबाव रहता है।

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
East	7.31	10-20 Deg	2.66
Northeast	3.73	20-30 Deg	6.70
Southeast	1.06	30-40 Deg	2.74

176–कक्ष परिचय– कोलीगाड कक्ष संख्या–2

कौलीगाड कक्ष संख्या–2, माणिकनाथ राजि, बौंठ बीट में कोलीगाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का

कुल क्षेत्रफल 91.50 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 969 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 1534 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°7'30.258" E-78°29'14.521" व ऊंचाई 1334 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में कोलीगाड कक्ष संख्या–3, पश्चिम दिशा में चौण्डली गांव की सिविल भूमि, उत्तर दिशा में

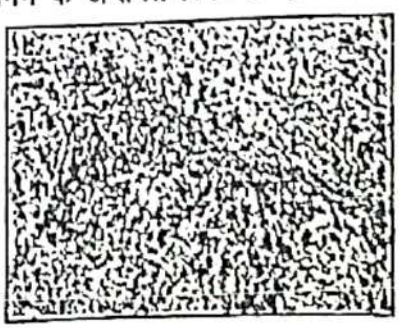

Scanned with CamScanner

नाई गांव की सिविल भूमि तथा दक्षिण दिशा में कोलीगाड कक्ष संख्या–3 का आंशिक भाग स्थित है। कक्ष के कुल क्षेत्र के 31 प्रतिशत में साल प्रजाति, 28 प्रतिशत में मिश्रित प्रजाति के वन तथा 42 प्रतिशत में चीड़ प्रजाति के वन स्थित हैं। कक्ष की मुख्य प्रजाति साल के साथ कक्ष में चीड़, रोगला, कचनार, रोहिणी, सैन, बाकली, अगलताश, आंवला, ईंगिन, जामुन आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एव झाड़ी के रूप में किनगोड़ा, हिंसर, लैन्टाना, करोन्दा, धौला, साकिना, कालावांसा आदि व कुमेरिया, ताछिला, गोल्डा आदि घासें व मालझन, दुध्धी आदि प्रजाति की बेल (लतायें) स्थित है। कक्ष के 50 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.4 से 0.5 के मध्य तथा 50 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। कक्ष में मुनारा सं0 1 से 12 तक कुल 12 मुनारें हैं। कक्ष में बापरी/बिण्डली (बंजर) चक स्थित है। कक्ष में नाई–पुरवाला (कुट्ठा) पैदल मार्ग चालू हालत में स्थित है। कक्ष की पश्चिमी दिशा में कोलीगाड स्थित है। कक्ष के निकट सानिध्य में नाई व चौण्डली गांव स्थित है जिनका कक्ष पर दवाव रहता है।

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
West	25.81	0-10 Deg	1.97
Southwest	21.49	10-20 Deg	10.62
Northwest	17.78	20-30 Deg	35.74
South	13.55	30-40 Deg	30.73
East	6.04	40-50 Deg	3.44
North	3.37		
Northeast	1.81		
Southeast	1.38		
North	0.27		

176–कक्ष परिचय– कोलीगाड कक्ष संख्या–3

कौलीगाड कक्ष संख्या–3, माणिकनाथ राजि, बौंठ बीट में कोलीगाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का कुल क्षेत्रफल 90.70 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 994 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 1496 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°7'7.896" E-78°29'26.674" व ऊंचाई 1266 मीटर है। कक्ष के विभिन्न अभिमुख व विभिन्न ढाल तालिका में दिये गये हैं। कक्ष की पूर्व दिशा में कोलीगाड कक्ष संख्या–5अ, पश्चिम दिशा में कोलीगाड कक्ष संख्या–2 का आंशिक भाग, उत्तर दिशा में कोलीगाड कक्ष संख्या–2 तथा दक्षिण दिशा में कोलीगाड कक्ष संख्या–4 का आंशिक भाग व मण्डियारी गांव स्थित है। कक्ष के कुल क्षेत्र के 10 प्रतिशत में चीड़ व साल प्रजाति, 80 प्रतिशत में मिश्रित प्रजाति तथा 10 प्रतिशत साल प्रजाति के वन स्थित हैं। कक्ष की मुख्य प्रजाति मिश्रित वन में चीड़, साल, सैन, आंवला, बाकली, ईंगिन, अगलताश, रोहिणी, महुवा, कचनार, जामुन आदि प्रजातियों के अतिरिक्त शाक एव झाड़ी के रूप में किनगोड़ा, हिंसर, लैन्टाना, करोन्दा, धौला, साकिना, कालावांसा आदि व कुमेरिया, ताछिला, गोल्डा आदि घासें व मालझन, दुध्धी आदि प्रजाति की बेल (लतायें) स्थित है। कक्ष के 50 प्रतिशत क्षेत्र में स्थित प्रजातियों का औसत घनत्व 0.4 से 0.5 के मध्य तथा 50 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियों का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। कक्ष में गुनारा सं0 13 से 17 तक कुल 05 मुनारें हैं। कक्ष में नाई–पुरवाला (कुट्ठा) पैदल मार्ग चालू हालत में स्थित है। कक्ष में पश्चिम दिशा में कोलीगाड स्थित है। यह कक्ष अवसायी कार्ययोजना (2003–04 से 2012–13) में संरक्षण कार्यवृत्त में था जिसे पुनरीक्षित कार्ययोजना (2013–14 से 2022–23) में मिश्रित वन संवर्धन एवं विकास कार्यवृत्त में रखा गया है।

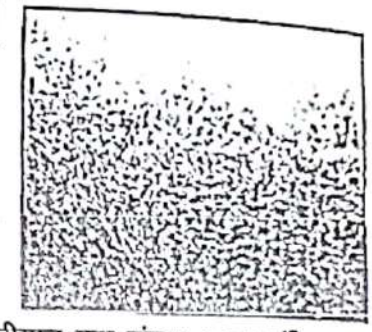

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
West	34.02	0-10 Deg	2.84
Southwest	28.11	10-20 Deg	10.33
East	11.44	20-30 Deg	38.25
Southeast	9.37	30-40 Deg	38.55
South	6.53	40-50 Deg	0.23
Northeast	1.08		
Northwest	0.15		

177–कक्ष परिचय– कोलीगाड कक्ष संख्या–4

कौलीगाड कक्ष संख्या–4, माणिकनाथ राजि, बौंठ बीट में कोलीगाड सूक्ष्म जलागम के अन्तर्गत स्थित है एवं कक्ष का कुल क्षेत्रफल 87.00 है0 है। कक्ष की न्यूनतम ऊंचाई 788 मी0 व अधिकतम ऊंचाई 1333 मी0 है। कक्ष के मध्य भाग की जी0 पी0 एस0 रीडिंग N-30°6'23.922" E-78°29'34.130" व ऊंचाई 1028 मीटर है। कक्ष के विभिन्न

कक्ष के विभिन्न अभिमुख		कक्ष के विभिन्न ढाल	
Aspect_Class	Reported_Area	Slope_Class	Rep_Area
West	40.54	0-10 Deg	1.14
Southwest	34.12	10-20 Deg	2.76
East	6.25	20-30 Deg	18.76
Southeast	2.52	30-40 Deg	60.68
Northeast	2.27	40-50 Deg	3.66
South	0.81		
Northwest	0.41		
North	0.08		

Scanned with CamScanner